न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–226/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00114)

01. गिर्राज पुत्र कल्लू उर्फ कल्याण,
02. हजारी पुत्र कल्लू उर्फ कल्याण,
03. रघुवीर पुत्र कल्लू उर्फ कल्याण,
04. रामखिलाडी पुत्र कल्लू उर्फ कल्याण,
05. हरलाल पुत्र कल्लू उर्फ कल्याण,
06. छोटू पुत्र कल्लू उर्फ कल्याण, समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटखावदा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. सुखपाल पुत्र सुख्खा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटखावदा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–228/17 (आरसीएमएस नं. 2017/000113)

01. गोपाल पुत्र रामपाल,
02. तीजा छोटी बेवा किशनलाल,
03. किशोर पुत्र किशनलाल,
04. रामसिंह पुत्र किशनलाल,
05. सरजू पत्नी हीरा,
06. रामसवरूप पुत्र हीरा,
07. हेमराज पुत्र हीरा,
08. रघुनाथ पुत्र हट्टू,
09. पॉचू पुत्र हट्टू,
10. माना पत्नी नैनूराम,
11. बीरबल पुत्र नैनूराम नाबालिंग बली खुद माता मानादेवी,
12. नारायण पुत्र जोधा,
13. रामकिशन पुत्र जोधा,
14. बाबूलाल पुत्र जोधा समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम कोटखावदा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. सुखपाल पुत्र सुख्खा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटखावदा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

अपील सख्याः–309/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00206)

01. भैरूलाल शर्मा पुत्र किस्तुरचन्द,
02. मांगीलाल शर्मा पुत्र किस्तुरचन्द,
03. नाथूलाल शर्मा पुत्र ग्यारसीलाल,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O,

04. कमल शर्मा पुत्र ग्यारसीलाल, समस्त जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासीगण 8/120, मालवीय नगर के सामने ग्राम रामजीपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. सुखपाल पुत्र सुख्खा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटखावदा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 22.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह तीनों अपीलें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 14.03.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 14.06.2016 (प्रकरण संख्या 46/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय से वास्तविक तथ्य छिपाते हुए उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया है जो की सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जिन खसरा नम्बरों से रास्ता चाहा है उक्त खसरा नम्बर 1460, 1464, 1465, 1466 के खातेदार मिन अपीलार्थीगण है जिनका कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है और बाला–बाला ही उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए पारित करवा लिया है जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित है और अधीनस्थ न्यायालय ने भी रिकार्ड का गहनता से अवलोकन नही किया चुँकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जिन खसरा नम्बरों से रास्ता चाहा है उक्त खसरा नम्बर के रिकार्डेड खातेदार मिन अपीलार्थीगण है जिनको सुनवाई का मौका नही दिया, ना ही प्रकरण मे अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया गया इस प्रकार उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट एकपक्षीय रूप से की गई है उसके सम्बन्ध में नक्शा ट्रेस का कोई मिलान नही किया गया, ना ही जमाबन्दी व नक्शें की रकबा बरारी भी नही करवायी गई तथा बिना किसी आधार के बिना किसी पैमाने के उक्त रिपोर्ट एकपक्षीय रूप से तैयार कर मिलीभगत कर उक्त आदेश पारित करवा लिया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि राजस्व रिकार्ड नक्शें में किसी प्रकार की कोई गड़बड नही थी ऐसा होता तो तहसीलदार द्वारा

P.T.O,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी को भी सूचित किया जाता और सुना जाता परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व तहसीलदार ने आपस में मिलीभगत करते हुए एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार कर भिजवा दी और जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये ही सरसरी तौर पर ही उक्त आदेश दिनांक 14.03.2015 पारित कर दिया तत्पश्चात् पुनः दिनांक 14.06.2016 को अपने आदेश में संशोधन करते हुऐ संशोधित आदेश जारी कर दिये जिसकी जानकारी भी अपीलार्थी को नही दी गई इस प्रकार उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को इस प्रकरण की जानकारी तब हुई जब तहसीलदार के कर्मचारी पटवारी मौके पर दिनांक 05.06.2017 को आये और कहा कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता निकालने के आदेश उपखण्ड अधिकारी ने कर दिये है और तम्हे उक्त भूमि से बेदखल करेंगे तब अपीलार्थी ने दिनांक 06.06.2017 को उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त कर उक्त प्रकरण की नकले निकलवायी तब उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई जिस कारण उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है फिर भी अपीलान्ट ने उक्त देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2015 एवं सशोधित आदेश दिनांक 14.06.2016 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ पत्रावली रिमाण्ड की जावे कि वह अपीलार्थीगण को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर मैरिट पर प्रकरण का विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1513, 1514, 1526, 1527, 159 लगायत 1538 कुल किता 14 कुल रकबा 4.40 हैक्टयर वाके ग्राम कोटखावदा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी पर आम रास्ता जो कोटखावदा से खेडारानीवास डामर रोड़ से जाता है जो पुरान खसरा नम्बर 315 खरास नम्बर 328 खसरा नम्बर 329 में से होकर आम रास्ता जो ढाणी डोईयों तथा कुशलपुरा होता हुआ रामनगर रोड़ पर जाकर निकलता है जो वर्तमान में भी मौके पर चालू हो रखा है जिसमें से होकर दूर राज्य के लोग तथा रेस्पोडेन्ट अपने साधन लेकर आते–जाते है तथा रेस्पोडेन्ट उक्त रास्ते होकर शुरू से आज तक अपनी आराजी बाजोत करते चले आ रहे है, आम जनता अवागमन व साधन ले जाने के कारम शुरू से आज दिन तक चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते पुराने नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 315, खसरा नम्बर 328 व खसरा नम्बर 329 में से होकर है जो राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचासियों द्वारा राजस्व रिकार्ड वर्तमान नक्शा ट्रेस के आराजी खसरा नम्बर 1460, खसरा नम्बर 1472, खसरा नम्बर 1487 से खसरा नम्बर 1492, खसरा नम्बर 1494, खसरा नम्बर 1495 में से उक्त आम कदीमी रास्ता को हटा दिया जो भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर उक्त कार्य किया गया जो अवैध होने

P.T.O,

से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा तहसीलदार से जवाब प्राप्त कर गुणागवुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2015 एवं 14.06.2016 पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपोल प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार ना बनाकर केवल सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू को ही पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट की आराजी से अनुतोष चाहा गया है जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत् 2072–2076 में उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकार्ड से होती है तथा अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपन पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 14.06.2016 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।